मई, 2019 माह के दौरान निष्पादन

(i) आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के 9 अधिकारियों के संबंध में अभियोजन की स्वीकृति जारी करने की सलाह दी थी ।

(ii) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के 9 अधिकारियों के संबंध में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अभियोजन के लिए स्वीकृति जारी की गई थी ।

(iii) आयोग ने 26 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के 95 अधिकारियों के विरूद्ध बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां प्रारंभ करने की सलाह दी ।

(iv) आयोग ने 4 मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के 5 अधिकारियों के विरूद्ध बड़ी शास्ति लगाने की सलाह दी ।

(v) आयोग की सलाह पर, सक्षम प्राधिकारियों ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के 76 अधिकारियों के संबंध में बड़ी शास्ति लगाई ।

(vi) आयोग ने माह के दौरान 2238 शिकायतों (94 पर्दाफाश शिकायतों सहित) पर कार्रवाई की तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से 39 शिकायतों में अन्वेषण रिपोर्ट मांगी ।

(vii) मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन द्वारा किए गए 07 कार्यों के गहन परीक्षण के परिणामस्वरूप मई, 2019 के दौरान 11.04 लाख रू0 की वसूली की गई ।

(viii) आयोग ने सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर की नियुक्तियों के लिए अधिकारियों की सतर्कता निकासी के लिए 50 मामलों में इनपुट उपलब्ध कराए । इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय सेवा तथा केन्द्रीय सेवा के 255 अधिकारियों को सूचीबद्ध करने, पदोन्नति आदि के मामले में सतर्कता निकासी के संदर्भों पर विचार किया गया था तथा आयोग द्वारा इनपुट उपलब्ध कराए गए थे ।

(ix) संगठनों में पूर्णकालिक/अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर नियुक्त/सूचीबद्ध/कार्यकाल बढ़ाने के लिए 16 अधिकारियों पर विचार किया गया था तथा आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी ।

महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

(i) केन्द्रीय सतर्कता आयोग का मासिक व्याख्यान, सी.पी.सी.बी. के अध्यक्ष श्री एस.पी. सिंह परिहार ने 30 मई, 2019 को दिया।

******

(मई - 2019)

1. शिकायतों पर कार्रवाई

	शिकायतें	पर्दाफाश शिकायतें
आगे लाई गई शिकायतें	1830	71
माह के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	2548	117
माह के दौरान निष्पादित शिकायतों की संख्या	2144	94
शिकायतों पर की गई कार्रवाई		
• अन्वेषण किए जाने तथा रिपोर्ट दिए जाने के लिए संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजी गई	31	8
• आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजी गई	1686	30
• कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	427*	56**

*आयोग की शिकायतों पर कार्रवाई करने की नीति के अनुसार, इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई की जानी अपेक्षित नहीं थी ।

**भारत सरकार के 'लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण' संकल्प के अंतर्गत मानदंड को पूरा नहीं करती थी, इसलिए सामान्य शिकायत के रूप में लिया गया ।

मई - 2019

(अन्वेषण एवं रिपोर्ट के लिए भेजी गई हस्ताक्षरित शिकायतें)

संगठन का नाम	**कुल**
भारत कुकिंग कोल लि0	1
भारत संचार निगम लि0	2
खान विभाग	1
डाक विभाग	1
इस्पात विभाग	2
उर्वरक विभाग	1
भारी उद्योग विभाग	1
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	1
राजस्व विभाग	1
भारतीय सामान्य बीमा निगम	1
आईएफसीआई लि0	1
भारतीय पैकेजिंग संस्थान, बॉम्बे	8
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1
विद्युत मंत्रालय	1
रेल मंत्रालय	4
न्यू इंडिया एश्योरेंस कं0 लि0	1
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉ0 लि0	1
पंजाब नेशनल बैंक	1
भारतीय इस्पात प्राधिकरण	1
कुल	**31**

मई : 2019

(अन्वेषण एवं रिपोर्ट के लिए भेजी गई लोकहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण संकल्प शिकायतें)

संगठन का नाम	कुल
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	1
श्रम मंत्रालय	1
रेल मंत्रालय	2
ऑयल इंडिया लि0	2
ओरिएंटल इंश्योरेंस कं0 लि0	1
भारतीय स्टेट बैंक	1
कुल	8

(मई- 2019)

II. दंडात्मक कार्रवाई

अन्वेषण/जाँच के दौरान दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरूद्ध आयोग दंडात्मक कार्रवाई जैसे अभियोजन अथवा अनुशासनिक कार्रवाई की सलाह देता है । यह संबंधित संगठन (अनुशासनिक प्राधिकारी) का उत्तरदायित्व है कि आयोग की सलाह पर आधारित शास्ति लगाए । आयोग द्वारा निम्नलिखित सलाह दी गई :

(क) अभियोजन

1. <u>अभियोजन चलाने के लिए आयोग की सलाह का संगठन-वार विवरण</u>

2. <u>आयोग की सलाह पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अभियोजन</u>

3. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा रिपोर्ट की गई अभियोजन की स्थिति (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत)

- 28 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति /अस्वीकृति हुई।
- 13 मामलों में 13 आरोप पत्र दाखिल किए गए।

(ख) अनुशासनिक कार्रवाई

1. कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए आयोग द्वारा निम्नलिखित सलाह दी गई :

सलाह की प्रकृति	मामलों की संख्या	
	प्रथम चरण की सलाह	द्वितीय चरण की सलाह
बड़ी शास्ति	95	05
लघु शास्ति	39	00
प्रशासनिक कार्रवाई/ चेतावनी/सावधान करना आदि	38	00
मामला बन्द करना/दोषमुक्ति	105	17
आयोग द्वारा कार्रवाई किए गए कुल मामले	277	22

2. केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के आधार पर संगठन द्वारा की गई कार्रवाई

की गई कार्रवाई की प्रकृति	अधिकारियों की संख्या
बड़ी शास्ति लगाई गई	76
लघु शास्ति लगाई गई	29
केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह का पालन नही किया गया	00

केन्द्रीय सतर्कता आयोग	
ऐसे मामलों का विवरण जहां आयोग ने अभियोजन की स्वीकृति जारी करने की सलाह दी है	
माह	**मई- 2019**

क्र.सं.	**विभाग**	**अधिकारी का नाम**	**पदनाम**	**सलाह की तिथि**
1.	आर्थिक कार्य विभाग	रबींद्र प्रसाद	तत्कालीन अवर सचिव	13/05/2019
2.	आर्थिक कार्य विभाग	प्रबोध सक्सेना	तत्कालीन निदेशक	13/05/2019
3.	आर्थिक कार्य विभाग	अनूप के पुजारी	तत्कालीन संयुक्त सचिव (एफटी) (सेवानिवृत्त)	13/05/2019
4.	आर्थिक कार्य विभाग	सिंधुश्री खुल्लर (श्रीमती)	तत्कालीन अपर सचिव (सेवानिवृत्त)	13/05/2019
5.	रेल मंत्रालय	सुरेश सिंह	वरिष्ठ क्षेत्रीय अभियंता	02/05/2019
6.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	अजित कुमार डंग	तत्कालीन अनुभाग अधिकारी	13/05/2019
7.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	ए सुबैय्या	भारतीय प्रशासनिक सेवा (पश्चिम बंगाल: 92)	14/05/2019
8.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	गुरनिहाल सिंह पीरजादा	भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त)	10/05/2019
9.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	रबिन्द्र नाथ रॉय	एपीएफसी	29/05/2019

(मई- 2019)

सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अभियोजन

क्र.सं	संगठन का नाम	अधिकारियों की संख्या
1.	अंडमान एवं निकोबार प्रशासन	2
2.	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	2
3.	केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड	2
4.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	1
5.	रेल मंत्रालय	2
	कुल	9

केन्द्रीय सतर्कता आयोग	
आयोग द्वारा सिफारिश की गई सलाह (प्रथम चरण)	
सलाह कोड:	**बड़ी शास्ति**
माह के लिए:	**मई, 2019**

क्र.सं.	विभाग	कुल
1.	भारत संचार निगम लिमिटेड	1
2.	विनिवेश मंत्रालय	1
3.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	15
4.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	7
5.	बैंक ऑफ इंडिया	4
6.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3
7.	यूको बैंक	3
8.	इंडियन ओवरसीज बैंक	2
9.	भारतीय स्टेट बैंक	2
10.	सिंडिकेट बैंक	2
11.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2
12.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1
13.	केनरा बैंक	1
14.	राजस्व विभाग	1
15.	रेल मंत्रालय	24
16.	गृह मंत्रालय	3
17.	भारतीय जीवन बीमा निगम	6
18.	आयुध निर्माणी बोर्ड	3
19.	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	2
20.	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं0 लि0	2
21.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	1
22.	दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड / आईपीजीसीएल	1
23.	दिल्ली निगम निगम	1

24.	प्रोजेक्ट्स एंड इक्यूपमेंट्स का0 ऑफ इंडिया लि0	4
25.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि0	2
26.	भारत अर्थ मूवर्स लि0	1
	कुल	**95**

केन्द्रीय सतर्कता आयोग	
आयोग द्वारा सिफारिश की गई सलाह (द्वितीय चरण)	
सलाह कोड:	**बड़ी शास्ति**
माह के लिए:	**मई- 2019**

क्र.सं.	विभाग	अधिकारियों का नाम	पद	सलाह भेजने की तिथि
1.	इंडियन ओवरसीज बैंक	के जोगेश्वर राव	एजीएम	08/05/2019
2.	रेल मंत्रालय	एस विजय कुमार	डीईई	06/05/2019
3.	रेल मंत्रालय	एल पी सिंह	वरिष्ठ डीईएन	29/05/2019
4.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	मलिक रवि	वरिष्ठ जीएम	29/05/2019
5.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	पी	आरपीएफसी	10/05/2019

केन्द्रीय सतर्कता आयोग	
विभाग द्वारा लगाई गई शास्ति	
सलाह कोड:	**बड़ी शास्ति (एम.ए.)**
तिथि सीमा:	**1 मई, 2019 से 31 मई, 2019 तक**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	संगठन	आयोग में प्राप्त अंतिम आदेश की तिथि	लगाई गई शास्ति
1.	टीपी अब्दुल खादर	डीएमई	रेल मंत्रालय	02/05/2019	दो वर्ष की अवधि के लिए मासिक पेंशन का 20% रोका गया
2.	यू गुनाबालन	एसएसई	रेल मंत्रालय	02/05/2019	तीन माह की अवधि के लिए दो चरण द्वारा वेतन की कटौती
3.	एम आर खांडकर	तत्कालीन डीईई	रेल मंत्रालय	02/05/2019	संचयी प्रभाव के बिना दो चरणों की सेवानिवृत्ति के 1 दिन पूर्व तक कटौती
4.	एसएन राम	तत्कालीन उप निदेशक	रेल मंत्रालय	09/05/2019	संचयी प्रभाव के बिना एक माह की अवधि के लिए दो चरणों द्वारा वेतन की कटौती
5.	श्रीमती बिनीता मित्रा	एफएएंडसीएओ	रेल मंत्रालय	09/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ 1 वर्ष के लिए 2 चरणों द्वारा कटौती
6.	श्री भगवती श्रीनिवास	डीएसटीई/डब्ल्यूएटी	रेल मंत्रालय	09/05/2019	1 माह के लिए वेतन के समयमान में 2 चरणों द्वारा निचले चरण की कटौती, जिसका भविष्य की वेतनवृद्धि पर प्रभाव नहीं होगा
7.	वीके सिंह	तत्कालीन प्रधानाध्यापक	रेल मंत्रालय	28/05/2019	2 वर्षों के लिए समयमान में वेतन की 2 चरणों द्वारा कटौती, जिसका भविष्य वेतनवृद्धियों अथवा सेवांत लाभ में कोई प्रभाव नहीं होगा
8.	जी बी नीनावे	एसएसई/ईएल/सी/एएक्यू	रेल मंत्रालय	28/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ 1 माह के लिए 5 चरणों द्वारा वेतन 9300-34800 के समयमान में निचले चरण की कटौती तथा वेतन 70000/- से 60400/- पर तत्काल लाया गया
9.	रणजीत सिंह बेपारी	तत्कालीन ए.पी.ओ.	रेल मंत्रालय	28/05/2019	2 माह के लिए वेतन के उसी समयमान में दो निचले चरणों द्वारा कटौती जिसका भविष्य वेतनवृद्धि पर स्थगन प्रभाव होगा
10.	मुजफ्फर अली बोहरा	तत्कालीन एए	रेल मंत्रालय	29/05/2019	सेवा से बर्खास्त
11.	चरण दास	डीजीएम	दूरसंचार	28/05/2019	दोष मुक्त किया गया

			विभाग		
12.	श्रीमती दृष्टि त्रिवेदी	प्रबंधक	सिंडिकेट बैंक	01/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ 1 वर्ष के लिए समयमान में 1 चरण द्वारा मूल वेतन में कटौती
13.	आर जयप्रकाश	डीजीएम	सिंडिकेट बैंक	03/05/2019	1 वर्ष के लिए पेंशन से 5% रोका गया
14.	कमल गर्ग	सीएम	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	06/05/2019	आगे निदेश के साथ 1 वर्ष की अवधि के लिए वेतन के समयमान में 2 चरणों द्वारा निचले चरण की कटौती
15.	कमल गर्ग	सीएम	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	06/05/2019	2 वर्षों की अवधि के लिए वेतन के समयमान में 2 चरणों द्वारा कटौती
16.	श्री आशोक कुमार कुइला	विशेष सहायक	भारतीय स्टेट बैंक	06/05/2019	अनुच्छेद 6(जी) के अनुसरण में 1 वर्ष की अवधि के लिए विशेष वेतन को रोका गया
17.	श्री बिनय कुमार लाकरा	विशेष सहायक	भारतीय स्टेट बैंक	06/05/2019	अनुच्छेद 6(जी) के अनुसरण में 1 वर्ष की अवधि के लिए विशेष वेतन को रोका गया
18.	श्री अजीत बी नायर	स्केल-IV	भारतीय स्टेट बैंक	06/05/2019	आगे निदेश के साथ 1 वर्ष की अवधि के लिए 2 चरणों द्वारा वेतन के समयमान में कटौती
19.	सहेज राम	वरिष्ठ शाखा प्रबंधक एमएमजीएस -III	सिंडिकेट बैंक	06/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ 2 वर्षों के लिए 2 चरणों द्वारा मूल वेतन में कटौती
20.	श्री जनार्दनय्या	एजीएम	भारतीय स्टेट बैंक	06/05/2019	नियमावली 67(जी) के अनुसरण में ओएसएमजीएस-V से ओ एसएमजीएस-IV के निचले ग्रेड में वापसी
21.	श्री कंचन कुमार साहा	उप प्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	06/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ एसबीआईओएसआर के नियम 67(एफ) के अनुसरण में वेतन के समयमान में एक चरण द्वारा सेवानिवृत्ति तक कटौती
22.	श्री राजीव कुमार सिंह	प्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	06/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ 3 चरणों द्वारा वेतन के समयमान में निचले चरण की सेवानिवृत्ति तक कटौती
23.	पी एन देशपांडे	जीएम, (12.03.2015 से यू/एस)	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	07/05/2019	बैंक सेवा से बर्खास्त
24.	नवनीत गंभीर	प्रबंधक, एमएमजीएस -II	सिंडिकेट बैंक	08/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ 2 वर्षों के लिए 2 चरणों द्वारा मूल वेतन में

					कटौती
25.	विनय कुमार	सीएम	कॉरपोरेशन बैंक	08/05/2019	3 वर्षों के लिए 30/3/2019 से पेंशन से प्रति माह 1000/- रू रोके गए
26.	शीतल भूमेश मनवर	प्रबंधक	कॉरपोरेशन बैंक	08/05/2019	4 वर्षों के लिए 1 चरण द्वारा मूल वेतन की कटौती
27.	मनवर भूमेश पंजाबराव	प्रबंधक	कॉरपोरेशन बैंक	08/05/2019	4 वर्षों के लिए 1 चरण द्वारा मूल वेतन की कटौती
28.	जी जानकीराम	एजीएम	कॉरपोरेशन बैंक	08/05/2019	4 वर्षों के लिए 2 चरण द्वारा मूल वेतन की कटौती
29.	मधु सुधन राव पी	सहायक प्रबंधक	कॉरपोरेशन बैंक	08/05/2019	सेवा से बर्खास्त
30.	के बाला कृष्णमूर्ति	एजीएम	कॉरपोरेशन बैंक	08/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ 4 वर्षों के लिए वेतन के समयमान में 4 चरणों द्वारा निचले चरण की कटौती
31.	राजेश कुमार जैन (आर एम जैन)	एजीएम	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	10/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ 1 वर्ष के लिए 2 चरण द्वारा कटौती
32.	सुश्री एस कौशल्या	सीएम	पंजाब नेशनल बैंक	10/05/2019	3 माह की अवधि के लिए निचले चरण की कटौती तथा अवधि के दौरान वेतनवृद्धि अर्जित नहीं होगी
33.	एम आर श्रीकुमार	एजीएम	पंजाब नेशनल बैंक	10/05/2019	1 वर्ष की अवधि के लिए निचले चरण की कटौती तथा अवधि के दौरान वेतनवृद्धि अर्जित नहीं होगी
34.	पीवीएसके मूर्ति	एजीएम	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	10/05/2019	वेतन के समयमान में 4 चरणों द्वारा मूल वेतन की सेवानिवृत्ति 30/04/2019 तक कटौती
35.	प्रदीप मिंज	प्रबंधक	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	17/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ 1 वर्ष के लिए 1 चरण द्वारा निचले चरण की कटौती
36.	रजनी कांता ब्रह्मा	एजीएम	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	17/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ 1 वर्ष के लिए 1 चरण द्वारा निचले चरण की कटौती
37.	बेट्टरफुल लानोंग	जीएम	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	17/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ 1 वर्ष के लिए 2 चरण द्वारा निचले चरण की कटौती
38.	प्रोनुज कुमार पेगु	डीजीएम	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	17/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ 1 वर्ष के लिए 1 चरण द्वारा निचले चरण की कटौती
39.	श्री राजेश सिंह	मुख्य प्रबंधक	इलाहाबाद बैंक	21/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ 1 वर्ष के लिए 2 चरण द्वारा मूल वेतन की कटौती

40.	के जोगेश्वर राव	एजीएम	इंडियन ओवरसीज बैंक	21/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ 1 चरण द्वारा मूल वेतन में सेवानिवृत्ति की तिथि पर कटौती
41.	श्रीमती निकिता तुंगारे	अधिकारी	इलाहाबाद बैंक	21/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ 1 वर्ष के लिए वेतन के समयमान में 2 चरण द्वारा मूल वेतन की कटौती
42.	श्रीमती दिव्या विजय इसरानी	वरिष्ठ प्रबंधक	इलाहाबाद बैंक	21/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ 1 वर्ष के लिए वेतन के समयमान में 2 चरण द्वारा मूल वेतन की कटौती
43.	श्री राकेश कुमार झा	एजीएम	इलाहाबाद बैंक	21/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ 1 वर्ष के लिए वेतन के समयमान में 2 चरण द्वारा मूल वेतन की कटौती
44.	भरत कुमार गोन्डी (भरत)	प्रबंधक	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	28/05/2019	1 वर्ष के लिए 1 वेतनवृद्धि द्वारा वेतन के समयमान में निचले चरण की कटौती
45.	नेमी चन्द	एसी (सेवानिवृत्ति से)	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	17/05/2019	2 वर्षों के लिए मासिक पेंशन में 15% रोका गया
46.	कमल सिंह	सहायक सीएचई ईएक्सए	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	17/05/2019	3 वर्षों के लिए निचले पद पर वापसी, आगे इस निदेश के साथ कि भविष्य वेतनवृद्धियाँ पर स्थगन प्रभाव होगा
47.	भगवती प्रसाद (प्रशाद)	निरीक्षक	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	17/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ 1 चरण द्वारा वेतन में 1 वर्ष के लिए कटौती, अवधि की समाप्ति पर वेतनवृद्धि अर्जित होगी
48.	रवींद्र कुमार तिवारी	निरीक्षक	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	17/05/2019	2 वर्षों के लिए 2 चरण द्वारा वेतन में कटौती, अवधि के दौरान वेतनवृद्धि अर्जित होगी जिसका भविष्य की वेतनवृद्धि पर स्थगन प्रभाव नहीं होगा
49.	एच ए कोहली (हरिशंकर ए कोली)	अधीक्षक	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	21/05/2019	सेवा से बर्खास्त जो सरकार के अंतर्गत भविष्य में रोजगार के लिए सामान्यतया एक अयोग्यता होगी
50.	विजय अजय काले	निरीक्षक	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	21/05/2019	1.6.2018 से 3 वर्षों के लिए 2 चरण द्वारा कटौती, कटौती के दौरान वेतनवृद्धि अर्जित नहीं होगी जिसका वेतनवृद्धि पर स्थगन प्रभाव नहीं होगा
51.	अशोक विष्णु परब	निरीक्षक	केन्द्रीय उत्पाद एवं	22/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ 3 चरणों द्वारा वेतन की कटौती

			सीमा शुल्क बोर्ड		
52.	डी द्वाराकनधा रेड्डी	मूल्यांकक	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	22/05/2019	संचयी प्रभाव के बिना 1 वर्ष के लिए 2 चरण द्वारा वेतन की कटौती, कटौती के दौरान वेतनवृद्धि अर्जित नहीं होगी जिसका भविष्य की वेतनवृद्धि पर स्थगन प्रभाव नहीं होगा
53.	बिपिन प्रभाकर मालांकर	पी.ओ.	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	22/05/2019	संचयी प्रभाव के बिना 2 चरणों द्वारा वेतन की कटौती
54.	पी पी सुनील कुमार (एमए)	निवारक अधिकारी	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	22/05/2019	संचयी प्रभाव के बिना 3 वर्षों के लिए 1 चरण द्वारा निचले चरण की वेतन में कटौती, अवधि के दौरान वेतनवृद्धि अर्जित नहीं होगी
55.	अब्दुल अजीज	निरीक्षक	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	22/05/2019	सेवा से हटाया गया.
56.	सक्सेना आर के	निरीक्षक	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	23/05/2019	पुनरीक्षण अधिकारी ने 28.10.2010 से सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति लगाई
57.	आर जी अग्रवाल	निरीक्षक	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	27/05/2019	संचयी प्रभाव के बिना 1 वर्ष के लिए 3 चरणों द्वारा निचले चरण की वेतन की कटौती, इस कटौती के दौरान वेतनवृद्धि अर्जित नहीं होगी
58.	रामावतार राम प्रताप मीना	अधीक्षक	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	27/05/2019	संचयी प्रभाव के बिना 2 वर्ष के लिए 5 चरणों द्वारा निचले चरण की वेतन की कटौती जिसका पेंशन पर प्रभाव नहीं होगा
59.	पी के सिरोही	मुख्य आयुक्त	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	27/05/2019	मासिक पेंशन को स्थायी आधार पर न्यूनतम देय पेंशन किया गया तथा पूर्ण उपदान को जब्त किया गया
60.	के सत्य नारायण प्रसाद	अधीक्षक	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	27/05/2019	मासिक पेंशन तथा उपदान का स्थायी आधार पर 100% रोका गया
61.	मनोज कुमार देमता	प्रशासनिक	केन्द्रीय	27/05/2019	3 वर्ष के लिए मासिक पेंशन का

		अधिकारी	उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड		20% रोका गया
62.	गुल जी केसवानी	एसी, वीआरएस 7.5.2009	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	28/05/2019	3 वर्ष के लिए मासिक पेंशन का 20% रोका गया
63.	एस वी सुरेंद्र बाबू	मूल्यांकक	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	28/05/2019	संचयी प्रभाव के बिना 7 माह के लिए 3 चरण द्वारा वेतन की कटौती जिसका पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा
64.	साह लाल बिहारी	वरिष्ठ अभियंता	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि0	27/05/2019	1 वर्ष के लिए वेतनमान में 2 निचले चरण की कटौती
65.	कुमार अखिलेश	सहायक अभियंता	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि0	27/05/2019	वेतनमान में न्यूनतम किया गया
66.	सिंह राघवेंद्र	वरिष्ठ प्रबंधक	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि0	27/05/2019	वेतन के समयमान में 1 निचले चरण द्वारा कटौती
67.	चौधरी वी.के.	वरिष्ठ अभियंता	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि0	27/05/2019	वेतन के समयमान में 1 निचले चरण द्वारा कटौती
68.	कुमार महेन्द्र	अभियंता	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि0	27/05/2019	वेतन के समयमान में 1 निचले चरण द्वारा कटौती
69.	डॉ0 प्रहलाद कुमार	निदेशक	स्वास्थ्य विभाग	17/05/2019	2 चरणों द्वारा वेतन के समयमान में सेवानिवृत्ति तक कटौती तथा वेतनवृद्धि नहीं मिलेगी तथा भविष्य वेतनवृद्धि में स्थगन प्रभाव नहीं होगा
70.	मुकेश कैन	तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता	दिल्ली नगर निगम	08/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ 1 वर्ष की अवधि के लिए 1 चरण द्वारा वेतन की कटौती
71.	शकील अहमद	कनिष्ठ अभियंता	दिल्ली नगर निगम	08/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए 2 चरण द्वारा वेतन की कटौती
72.	पी दिनेश	वरिष्ठ नगर योजनाकार	दिल्ली नगर निगम	08/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए 2 चरण द्वारा वेतन की कटौती
73.	सुंदर लाल	सहायक वास्तुकार	दिल्ली नगर निगम	08/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए 2 चरण द्वारा वेतन की कटौती

74.	श्रीमती ए जगदीश शर्मा	कनिष्ठ अभियंता (सी)	शहरी विकास मंत्रालय	08/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए 2 चरण द्वारा वेतन की कटौती
75.	श्रीमती शांति	एसके	दिल्ली नगर निगम	20/05/2019	2 वर्ष के लिए पेंशन में 5% की कटौती
76.	के एस महाजन	कनिष्ठ अभियंता (सी)	शहरी विकास मंत्रालय	20/05/2019	संचयी प्रभाव के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए वेतन के समयमान में 1 निचले चरण की कटौती

III. निवारक कार्रवाई

संगठनों में भेद्यताओं, नीतियों, प्रणालियां तथा ऐसी प्रक्रियाएं जो भ्रष्टाचार का खतरा उत्पन्न करती हैं, के बारे में संगठनों को सतर्क करने के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर परामर्श जारी किए गए हैं ।

i. अभियोजन के लिए स्वीकृति देने के मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बीच असहमति से निपटने के लिए दिशानिर्देश।

सं-016/वी.जी.एल./011
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली
दिनांक: 02.05.2019

परिपत्र सं0 03/05/2019

विषय: अभियोजन के लिए स्वीकृति देने के मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बीच असहमति से निपटने के लिए दिशानिर्देश।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अभियोजन स्वीकृति देने के मामलों/अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए दिनांक 15/17.10.1986 के कार्यालय ज्ञापन सं0 134/2/85-एवीडी-I द्वारा जारी पिछले दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करते हुए दिनांक 01.03.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं0 372/6/2017-एवीडी-III द्वारा संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।

2 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थानों तथा स्वायत्त निकायों में सभी प्रशासनिक प्राधिकारी अभियोजन स्वीकृति के मामलों पर कार्रवाई करते समय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.03.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं0 372/6/2017-एवीडी-III का [प्रति संलग्न] सख्ती से अनुपालन करें।

ह0/-
(जे. विनोद कुमार)
निदेशक

संलग्न : यथा उपर्युक्त

सेवा में

1. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थानों/स्वायत्त संगठनों/समितियों के सभी मुख्य कार्यकारी ।
2. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थानों तथा स्वायत्त निकायों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।
3. वेबसाइट में अपलोड किया जाए।

No. 372/6/2017-AVD-III
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training
***

North Block, New Delhi
Dated 1st March, 2019

OFFICE MEMORANDUM

Subject Guidelines for dealing with disagreement between DA and CVC in cases of granting Sanction for Prosecution - regarding

In supersession of this Department's OM No. 134/2/65-AVD-I dated 15/17-10-1986, the following guidelines are laid down for strict compliance while dealing with disagreement between the Disciplinary Authority (DA) and the Central Vigilance Commission (CVC) in cases of granting Sanction for Prosecution

2. The work relating to according of Central Government's sanction for the prosecution of any person in a case investigated by the Central Bureau of Investigation (CBI) which was centralised in the Department of Personnel and Training, has since been decentralised and vested in the Ministry/Department concerned vide Cabinet Secretariat's Notification No. CD-826/86, dated the 30th September, 1986.

2.1 The CBI recommends prosecution of persons only in those cases in which they find sufficient justification for the same as a result of the investigation conducted by them. There are adequate internal controls within CBI to ensure that a recommendation to prosecute is taken only after a very careful examination of all the facts and circumstances of the case. Hence, any decision not to accord sanction for prosecution in such cases should, therefore, be for very valid reasons.

2.2 The following guidelines may be kept in view while dealing with cases of sanction of prosecution:

(i) In cases in which sanction for prosecution is required to be accorded in the name of the President, the CVC will advise the Ministry/Department concerned and it would be for that Ministry/Department to consider the advice of the CVC and to take a decision as to whether or not the prosecution should be sanctioned;

(ii) In cases in which an authority other than the President is competent to sanction prosecution, and that authority does not propose to accord such sanction, it is required to report the case to the CVC and take further action after considering the CVC's advice, vide para 2(vi)(b) of the Government Resolution by which the CVC was set up and the CVC's letter No. 9/1/64-DP dated 13th April, 1964;

Contd...2/-

(iii) In a case falling under (i) above, if the CVC advises grant of sanction for prosecution but the Ministry/Department concerned proposes not to accept such advice, the case should be referred to this Department for final decision.

(iv) In a case falling under (i) above, if the CVC declines sanction for prosecution but the Ministry/Department concerned proposes not to accept such advice and proposes to grant sanction for prosecution, the case should be referred to this Department for a final decision.

(v) In a case falling under (ii) above, if the CBI has sought sanction for prosecution and the CVC has recommended grant of sanction, and yet the competent authority proposes not to grant sanction, the case should be referred to this Department for final decision.

(vi) Where two or more Government servants belonging to different Ministries/Departments, or under the control of different cadre controlling authorities are involved, the CBI will seek sanction from the respective Ministries/Departments or the respective competent authorities in accordance with the procedure laid down in the above paragraphs. Where sanction is granted in the case of one of the Govt. servants but sanction is refused in the case of the other or others, the CBI will refer the case to this Department for resolution of the conflict, if any, for final decision.

3. This issues with the approval of Competent Authority.

(Manmeet Kaur)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel No. 2309 4541

To:

1. All Ministries/Departments of the Government of India as per standard list.
2. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
3. NIC, DoPT for uploading on the website of this Department.

Copy to:

1. Secretary, CVC, Satarkta Bhawan, New Delhi.
2. Director, CBI, North Block, New Delhi.
3. Other as per standard list.

(मई - 2019)

IV. सार्वजनिक प्रापण की कार्यों सहित तकनीकी जाँच

गतिविधि	माह के दौरान	संचयी
आयोग को प्रस्तुत की गई तकनीकी जाँच रिपोर्ट	7	21
मुख्य तकनीकी परीक्षक के अन्वेषणों के परिणामस्वरूप वसूली	रू0 11.04 लाख	रू0 18073.93 लाख

(मई - 2019)

V. माह के दौरान अन्य गतिविधियां

1. सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर नियुक्तियों के लिए आयोग ने 50 मामलों में अधिकारियों के लिए सतर्कता निकासी प्रदान करने की कार्रवाई की । इसके अतिरिक्त, सूचीबद्ध, पदोन्नति करने आदि के मामलों में अखिल भारतीय सेवा तथा केन्द्रीय सेवा अधिकारियों के 255 संदर्भों पर सतर्कता निकासी के लिए विचार किया गया तथा आयोग द्वारा कार्रवाई की गई थी ।

2. विभिन्न संगठनों में पूर्णकालिक /अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पद पर नियुक्ति/सूचीबद्ध करने के लिए 16 अधिकारियों पर विचार किया गया था तथा आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी ।